न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
50/24	24.06.2025	08.07.2025

बउनवान

1. प्रवीण कुमार पुत्र लीलाराम जाति जाट निवासी रेणागिर की ढाणी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. असलम पुत्र ईदला खॉ
2. जफरूदीन पुत्र ईदला खॉ
3. इसलाम पुत्र ईदला खॉ जातियान मेव निवासीयान पेहल तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128
भू0 राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी वकील –: श्री अशोक चौधरी

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख0न0 55 रकबा 2.73 है0, वाके ग्राम पेहल तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज० में स्थित है।
2. यह है कि उक्त आराजी मिन प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा मिन वादी व अन्य सहखातेदारान के नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड में दर्ज हो रहा है तथा मिन वादी व अन्य सहखातेदारान आराजी का आपसी तौर पर बहामी बंटवारा कर, अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है।
3. यह है कि उक्त आराजी ख0न0 55 रकबा 2.73 है0, के साथ लगती हुयी आराजी अप्रार्थीगण की रही है तथा मिन प्रार्थी के हिस्से व अप्रार्थीगण की आराजी के मध्य कदीमी डोल कायम रही है, लेकिन अप्रार्थीगण मूठ मर्द व आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति रहे है, जो मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी के साथ लगती हुयी डोल को मिसमार कर, अपनी आराजी में मिलाते रहते है

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

तथा डोल मिसमार नही करने की कहने पर लडाई झगडा करते है तथा झूठे मुकदमें दर्ज कराने की धमकी देते रहते है।

4. यह है कि मिन प्रार्थी वाके ग्राम रैणागिर की ढाणी का रहने वाला है तथा अप्रार्थीगण वाके ग्राम पेहल के रहने वाले है तथा आराजी भी वाके ग्राम पेहल में स्थित है तथा अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी के के दुसरे गांव का होने का बेजा फायदा उठाकर अपनी बेजा हरकतों से बाज नही आ रहे है, तथा आये दिन मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी की डोल को मिसमार करते रहते है, तथा अप्रार्थीगण को बार बार समझाया गया एवं गांव के लोगों को एकत्रित कर, लोगों के समक्ष डोल कायम कर, पत्थर भी रोपे गये, परन्तु अप्रार्थीगण अपनी बेजा हरकतों से बाज नही आ रहे है तथा डोल मिसमार करते रहते है, तथा पत्थरों को उखाड देते है तथा धमकी देते है कि हम तुम्हारी आराजी की डोल को मिसमार कर, तुम्हारी आराजी को अपनी आराजी में मिलाकर पुख्ता निर्माण करके रहेगे।

5. यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा मिन प्रार्थी की आराजी को डोल को मिसमार क़रने के कारण मिन प्रार्थी ने अपनी आराजी की पैमाईस हेतु तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया, तथा तहसीलदार मुण्डावर द्वारा दिनांक 9/5/2024 को अपने आदेश कमांकःभू0अ0/24/25 से हल्का पटवारी को पैमाईस हेतु आदेश दिया, जिस आदेश की पालना में हल्का पटवारी दिनांक 13/5/2024 को मौके पर जाकर, आराजी की पैमाईस की गयी, तथा पैमाईस के निशानात कायम किये गये, जिस पैमाईस में मिन प्रार्थी की आराजी का रकबा कम पाया गया तथा हल्का पटवारी द्वारा श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष यह मौका परचा पेश किया कि मौके पर आराजी ख0 न0 55 रकबा 2.73 है०, पर आवेदन कर्ता प्रवीण कुमार श्व आस पास लगती हुयी आराजी के लोग मौजूद रहे, सीमाज्ञान कार्य के लिये ख0 न0 56 रकबा 0.06 हैक०, किस्म गैरम मु0 चाह को मुंतकिल बिन्दू मानकर सीमाज्ञान कार्य चालु किया तथा ख0न0 56 गैर मु0 चाह के मध्य से ख0न0 55 तक 5 जरीब 8 गट्ठा पश्चिमी कोना कायम किया गया, ज़रीब मेट्रीक का अद्दा काम में लिया गया व उसके आधार मानकर चारो तरफ चारो कोनों को जरीब चलाकर कायम किया गया व ख० न० 55 के चारों कोने व मध्य में निशानात कायम किये व सीमाज्ञान कार्य पूर्ण किया गया, मौका पर्चा, मौके पर तैयार कर, पढकर सुनाया गया तथा उपस्थिति जनों से हस्ताक्षर करवाये गये।

6. यह है कि अप्रार्थीगण जाति से मेव है तथा मिन प्रार्थी जाति से जाट है, तथा अप्रार्थीगण किसी भी अदालत व तहसीलदार के आदेशों की परवाह नही करते है, ना ही मिन प्रार्थी को आराजी की पत्थरगढी कराने देते है तथा मिन प्रार्थी की आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किये हुये है तथा जबरन निर्माण कार्य करने की जुस्तजू में है, इसलिए मिन प्रार्थी अपनी उक्त आराजी की पैमाईस, मोका पर्चा दिनांक 13/5/2024 के

अनुसार अदालत श्रीमान से, पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। जिसके लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजिमी आया है।

7. यह है कि प्रार्थी ने अब दिनांक 7/6/2024 को, अप्रार्थीगण को आराजी की पत्थरगढी, पैमाईस अनुसार कराने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण आमादा लडाई झगडा हो गये तथा पत्थरगढी कराने से साफ मना कर दिया तथा ऐलानिया धमकी दी है कि हम पत्थरगढी नही होने देगे तथा ना ही तुम्हारी आराजी पर से कब्जा छोडेगे, बस यही प्रार्थना पत्र हेतु बिनायदावी पैदा होकर, प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किया जाना लाजिमी आया है। जो अन्दर अवधि पेश है।
8. यह है कि मिन प्रार्थीगण की आराजी के साथ लगते हुये ख० नम्बरान के काश्तकार को अप्रार्थीगण की जद में पक्षकार बनाया गया है।
9. यह है कि प्रार्थना पत्र में राज० सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर को पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि मिन प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया है, जो प्रतिवादी स० 1 द्वारा की जानी है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ कार्यवाही करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा0 दी0 दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन अप्रार्थीगण आराजी पर जबरन निर्माण करने पर आमादा होने के कारण, नोटिस नही दिया जा सका है, इसलिए प्रार्थना पत्र को अर्जेन्ट नेचर का मानते हुये बिना नोटिस दिये ही प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति दिया जावे, अनुमति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र के साथ धारा 80 (2) जा० दी० का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

1. यह है कि डिकी पत्थरगढी इस अमर की पारित की जाकर आराजी ख0 न0 55 रकबा 2.73 है0, वाके ग्राम पेहल तह0 मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा की पत्थरगढी पैमाईस, दिनांक 13/5/2024 के अनुसार पत्थरगढी कराये जाने या आराजी की पुनः पैमाईस करायी जाकर, पैमाईस के अनुसार पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिया जावे।
2. यह है कि खर्चा प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण से प्रार्थी को दिलाया जावे।
3. यह है कि अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्डर्ट किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, तामिल बाद अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2073–76, सीमाज्ञान रिपोर्ट नकल पटवारी रिपोर्ट पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे विवादित आराजी प्रार्थी की काश्तेकाश्त की भूमि है। विवादित आराजी की पैमाईस राजस्व टीम के द्वारा की जा चुकी है। विवादित आराजी को अप्रार्थी द्वारा जबरन दबा रखी है। विवादित आराजी की पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश करवाई जाने का श्रम करे।

पत्रावली, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जबाव अप्रार्थी, पत्रावली के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व प्राथी व अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। काश्तकार खातेदार को अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने जाने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी किया जाना उचित रहेगा। इसलिए यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त् विवेचन के अनुसार न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं आराजी ख0 न0 55 रकबा 2.73 है0, वाके ग्राम पेहल तह0 मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा के लगाये हुए समस्त काश्तकार को विधिवत रूप से सूचित कर पुनः पैमाईश कर विवादित आराजी की पत्थरगढी की जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0